न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 01 / 2024
दायर दिनांकः 03.01.2024
निर्णय दिनांक 06.02.2024

—:अनवानः—

श्री किशनलाल पिता पन्ना लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी एमडी तहसील राजसमंद जिला राजसमंद — **अपीलांट**

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द
2. शंकरलाल पिता बालकृष्ण जी कुमावत उम्र वयस्क निवासी एमडी तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

—— **रेस्पोडेण्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय श्रीमान् तहसीलदार साहब राजसमंद निर्णय दिनांक 01—01—2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम (सुखाधिकार के अधिकार बाबत) बअनवान शंकरलाल बनाम किशनलाल

उपस्थित :—

1— श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—::निर्णय::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी शंकर लाल ने दिनाक 13.12.2023 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजसमंद संख्या एक के समक्ष प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव एमडी तहसील राजसमंद पटवार सर्कल एमडी जिला राजसमंद में स्थित उसके स्वामित्व आधिपत्य की आराजी नं. 1148, 1149 में राजसमंद झील का पिलाई के लिये पानी आराजी नं. 1150 में से होकर आता है, जिसके खातेदार विपक्षी अपीलान्ट के द्वारा बन्द कर दिया है, उक्त पानी का धोरा राजसमंद झील बनी तब से आराजी नं. 1148, 1149 व अन्य खेतो की पिलाई की जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले किशन लाल ने पानी के धोरे की हकाई करते हुए अपने खेत में मिला दिया, जिस कारण से वर्तमान में पानी के धोरो का कोई नामो निशान नहीं रहा है, जिससे काफी किसानो के खेतो मे पानी का धोरा नहीं जा सका, जिस पर तहसीलदार राजसमंद ने

रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक के द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 13.12.2023 को पटवार हल्का एमडी को अपने पत्र सं. 2375 दिनांक 13.12.2023 के आदेश से जाँच कर पर्चा मौका रिपोर्ट बना कर पेश करने का आदेश दिया। जिस पर पटवार हल्का एमडी के द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पर्चा मौका मौतबिरान व अपीलांट की उपस्थिति में बनाया। उक्त पर्चा मौका रिपोर्ट में आराजी नं. 1150 में न तो राजस्व रेकार्ड में कोई धोरा अंकित है, न ही मौके पर कोई पानी का धोरा है, की रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही आराजी नं. 1150, 1149 के बीच पत्थरो की पक्की दीवार बनी हुई है, की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पेश होने के पश्चात रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक के द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षी अपीलांट ने जवाब मय फोटोग्राफ्स के प्रस्तुत किये एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के खेतो की पिलाई के दो वैकल्पिक मार्ग जिसमें आराजी नं. 1148 व 1151/1, 1151/2, एवं 1151/3 जो कि स्वयं रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो की खातेदारी की भूमि होकर आराजी नं. 1149 के सटमा है और यहीं से रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो अपने खेतो की पिलाई व आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिस पर तहसीलदार महोदय राजसमंद रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक ने मौखिक रूप से रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो को आदेश दिया कि अपनी आराजी नं. 1151/3 जो कि आ. नं. 1149 के सटमा है, से पिलाई करे, क्योकि मौके पर पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 एवं मौके के फोटोग्राफ से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। उक्त मौखिक आदेश के पश्चात अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई सूचना पत्र जारी किये, रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के राजनैतिक प्रभाव व रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक से मिली भगत करते हुए मन मर्जी तरीके से दिनांक 29.12.2023 को पुनः प्रार्थना पत्र लेकर उक्त प्रार्थना पत्र पर नया पर्चा मौका बना कर बिना अपीलांट विपक्षी को सुने व उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, राजसमंद का आदेश दिनांक 01–01–2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोण्डेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोण्डेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि राजस्व गांव एमडी तहसील राजसमंद पटवार सर्कल एमडी जिला राजसमंद में स्थित उसके स्वामित्व आधिपत्य की आराजी नं. 1148, 1149 में राजसमंद झील का पिलाई के लिये पानी आराजी नं. 1150 में से होकर आता है, जिसके खातेदार विपक्षी अपीलान्ट के द्वारा बन्द कर दिया है, उक्त पानी का धोरा राजसमंद झील बनी तब से आराजी नं. 1148, 1149 व अन्य खेतो की पिलाई की जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले किशन लाल ने पानी के धोरे की हकाई करते हुए अपने खेत में मिला दिया, जिस कारण से वर्तमान में पानी के धोरो का कोई नामो निशान नहीं रहा है, जिससे काफी किसानो के खेतो मे पानी का धोरा नहीं जा सका, जिस पर तहसीलदार राजसमंद के द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 13.12.2023 को पटवार हल्का एमडी को अपने पत्र सं. 2375 दिनांक 13.12.2023 के आदेश से जाँच कर पर्चा मौका रिपोर्ट बना कर पेश करने का आदेश दिया। जिस पर पटवार हल्का एमडी के द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पर्चा मौका मौतबिरान व अपीलांट की उपस्थिति में बनाया। उक्त पर्चा मौका रिपोर्ट में आराजी नं. 1150 में न तो राजस्व रेकार्ड में कोई धोरा अंकित है, न ही मौके पर कोई पानी का धोरा है, की रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही आराजी नं. 1150, 1149 के बीच पत्थरो की पक्की दीवार

न्यायालय जिला कलक्टर

बनी हुई है, की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पेश होने के पश्चात रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक के द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षी अपीलांट ने जवाब मय फोटोग्राफ्स के प्रस्तुत किये एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के खेतो की पिलाई के दो वैकल्पिक मार्ग जिसमें आराजी नं. 1148 व 1151/1, 1151/2, एवं 1151/3 जो कि स्वयं रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो की खातेदारी की भूमि होकर आराजी नं. 1149 के सटमा है और यहीं से रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो अपने खेतो की पिलाई व आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिस पर तहसीलदार महोदय राजसमंद ने मौखिक रूप से रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो को आदेश दिया कि अपनी आराजी नं. 1151/3 जो कि आ. नं. 1149 के सटमा है, से पिलाई करे, क्योकि मौके पर पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 एवं मौके के फोटोग्राफ से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। उक्त मौखिक आदेश के पश्चात अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई सूचना पत्र जारी किये, रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के राजनैतिक प्रभाव व रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक से मिली भगत करते हुए मन मर्जी तरीके से दिनांक 29.12.2023 को पुनः प्रार्थना पत्र लेकर उक्त प्रार्थना पत्र पर नया पर्चा मौका बना कर बिना अपीलांट विपक्षी को सुने व उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के पटवार हल्का एमडी की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 में बताया कि सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता तथा गावॅ के मौतबीरान के समक्ष मौका पर्चा बना नियमानुसार निर्णय पारित किया। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या 02 ने बहस मे निवेदन किया है कि नहर का धोरा बाप दादाओ के समय से चला आ रहा था जिसे प्रार्थी ने जानबुझकर अवरोध कारित करने के आशय से फसल बुवाई के समय हकवा दिया जबकि मौके पर दोनो मुहं यानि प्रार्थी की आराजी संख्या 1150 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर जहां से नहर का पानी खेतो में जाता है वहां तथा इसी आराजी संख्या 1150 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर प्रार्थी ने जो नये सर पत्थरो का कोट बनाया उसके वहां भी नहर के धोरे का पानी निकासी हेतु मौखा रखा हुआ हैं। अपीलार्थी के अवैध कृत्य के कारण विपक्षी ने श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां कार्यवाही कर पूर्व अनुसार नहर का धोरा खुलवाया और नहर के पानी से आदेश के पश्चात् खेतो की पिलाई की गई। अब वापस नहर से पाण हेतु पानी नहर में छोडा जाएगा जिसमे अवरोध कारित करने हेतु अपीलार्थी ने गलत बयानी करते हुए यह अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज के हैं। राजस्व ग्राम एमडी की आराजी संख्या 1150, 1149, 1148/1. 1148/2, 1148/3 की कृषि भूमियो की सिंचाई का घोरा आराजी संख्या 1150 के दक्षिणी पश्चिमी भुजा के वहां से मुख्य नहर से निकलता है और ये धोरा आराजी संख्या 1150 की पश्चिमी भाग से होता हुआ आराजी संख्या 1149 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रवेश करता है और इसी तरह ये नहर का धोरा दक्षिण से उत्तर की और जाता है और इन खेतो की पिलाई बाप दादाओ के समय से इसी धोरे से होती आ रही है। यहां की भूमियो का ढलान पश्चिम से पूर्व की और हैं। आराजी संख्या 1150, 1149, 1148/1, 1148/2, 1148/3 की कृषि भूमियो से आराजी संख्या 1151/1, 1151/2, 1151/3 करीबन 1 फिट निची हैं यानि कि आराजी संख्या 1150 व 1149 उंचाई में तथा आराजी संख्या 1151/1, 1151/2, 1151/3 निचाई में ढलान लिए हुए हैं। कनिष्ट अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा भी स्थल निरीक्षण किया उससे भी स्पष्ट है कि पश्चिम की आराजियात से पूर्व की आराजियात ढलान में हैं। इस तरह प्रार्थी का यह कथन कि आराजी

न्यायालय जिला कलक्टर

संख्या 1151 से उल्टा पानी उंचाई की तरफ आराजी संख्या 1149 में लाने का गलत बयानी करते हुए यह अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारीज की जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम एमडी, पटवार हल्का एमडी तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1150, 1149, 1148/1, 1148/2, 1148/3 भूमि की दिनांक 08.07.2021, 14.12.2023 व दिनांक 01.01.2024 को सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाया गया। अपीलार्थी की अनुपस्थित में बनाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नही मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट, कनिष्ट अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्व निरिक्षक तथा रेस्पाडेन्ट की उपस्थिति में नियमानुसार सीमा जानकारी एवं मौका पर्चा बनाकर तथा साक्ष्य सबूत के आधार पर एक माह में आदेश पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)